अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पांची 4/J मिसल

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

2024/164

श्री महेन्द्रसिंह चौहान श्री शिवप्रकाश चौधरी 1,2

पांची बनाम श्रेष्ठा वगैरह (2024/164)

9/10/24 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया, प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 को दी गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत निवेदन किया कि अपील मे एफ0आई0आर0 235/2023 दिनांक 29.09.2023 अपराध धारा 302, 307 भा0द0सं. की सत्यप्रतिलिपि, चालान की सत्य प्रतिलिपि, नामान्तकरण संख्या 787 दिनांक 09.03.2024, जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति पेश की है। उक्त दस्तावेजात लोक दस्तावेज है जो कि संदिग्धता से परे है जिन्हे रिकॉर्ड पर लिया जाकर साक्ष्य में पढा जाना न्यायहित में अनिवार्य है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण का न्यायिक निर्णय करने हेतु उक्त दस्तावेजात महत्वपूर्ण है अतः दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर साक्ष्य में पढे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र में पैरा सख्या 01 व 2 का जो उल्लेख किया गया है उनका सम्बन्ध फौजदारी केस से है तथा न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील कृषि भूमि से संबंधित है। इस प्रकार से उक्त दस्तावेजात का सम्बन्ध राजस्व न्यायालय में नहीं होने से उन्हे किसी भी रूप में रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। दस्तावेज संख्या 3 व 4 विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी है जो कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा उक्त दस्तावेज अपीलांट की अपील को देरीना करने की गरज प्रस्तुत किए है जिससे उक्त जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 द्वारा प्रस्तुत एफ0आई0आर0 235/2023 दिनांक 29.09.2023 अपराध धारा 302, 307 भा0द0सं. की सत्यप्रतिलिपि, चालान की सत्य प्रतिलिपि का संबंध फौजदारी प्रकरण से है जिसे रिकार्ड पर लिये जाने की आवश्यक्ता नहीं है तथा नामान्तकरण संख्या 787 दिनांक 09.03.2024 की प्रति, जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति राजस्व प्रकरण सें संबंधित है, जो कि लोक दस्तावेजात की श्रेणी में आते है तथा उक्त दस्तावेजात न्यायिक निर्णय में भी सहायक होंगे।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 आंशिक स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की ओर से प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 787 दिनांक 09.03.2024, जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर मेरिट पर किया जाना उचित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री श्री

समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन उपरान्त अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि एक अन्तरिम आदेश है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भूपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में सामान्य परिस्थितियों में पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लंबित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी.ए.संख्या 164 /2024 जिला अजमेर

2024/164

पांची देवी पत्नि सुवा, जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेडा, तहसील व जिला अजमेर।

— अपीलांट

बनाम्

1. श्रेष्ठा पुत्री श्री विजय सिंह) नाबालिग जरिये नैसर्गिक संरक्षक
2. संध्या पुत्री श्री विजय सिंह) माता श्रीमति चन्द्रकान्ता
3. विजय सिंह उर्फ प्रकाश पुत्र सुवा
4. पांची पुत्री बींजा
5. प्रहलाद सिंह पुत्र शंकर
6. पानी देवी पत्नि शंकर
7. पिन्टूसिंह पुत्र शंकर
8. मानसिंह पुत्र शंकर
9. रेखा पुत्र शंकर
10. छगन पुत्र बींजा

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेडा, तहसील व जिला अजमेर।

11. सुन्दर सिंह पुत्र हरवीर सिंह जाति जाट निवासी फाईसागर रोड, अजमेर।
12. मरियम बेगम पत्नि अकीलखान जाति मुसलमान निवासी पुलिस चौकी आनासागर के सामने, पुष्कर रोड, अजमेर।
13. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक तबीजी।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

पांची